न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 17/2022 **दायर दिनांकः 05.05.2022**

उनवान

1. चतुर्भज मीणा पुत्र बजरंगलाल जाति मीणा निवासी महाराजपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :–
प्रार्थी :–स्वयं
अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 29/01/2025**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि ग्राम व माल महाराजपुरा के खाता संख्या 213 ख0नं0 744 का रकबा 2.13 है0 आराजी प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारों के शामलाती खाते दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम चतरूलाल पुत्र बजरंगलाल हिस्सा 1/6 अंकित है जो गलत दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम चर्तुभूज मीणा है। प्रार्थी के दस्तावेजों जैसे मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड आदि में सही नाम चर्तुभूज अंकित है। अतः उक्त आराजी में प्रार्थी का नाम दुरूस्त कर चतरूलाल पुत्र बजरंगलाल के स्थान पर चर्तुभूज पुत्र बजरंगलाल दर्ज किये जाने के आदेश करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र [illegible] में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/40 दिनांक 07.01.2025 को शामिल फाईल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:38:47 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों नकल जमाबन्दी ग्राम व माल महाराजपुरा सम्वत 2075–78 खाता संख्या 213, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के ग्राम एवं माल महाराजपुरा तहसील अटरू में खाता संख्या 213 के खसरा न. 744 का रकबा 2.13 है0 कुल किता 1 का रकबा 2.13 है0 आराजी में सहखातेदार चतरूलाल पुत्र बजरंगलाल के स्थान पर चर्तुभूज पुत्र बजरंगलाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल महाराजपुरा तहसील अटरू में खाता संख्या 213 के खसरा न. 744 का रकबा 2.13 है0 कुल किता 1 का रकबा 2.13 है0 आराजी में सहखातेदार चतरूलाल पुत्र बजरंगलाल के स्थान पर चर्तुभूज पुत्र बजरंगलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटरू को भी भिजवायी जावें। प्रार्थी स्वयं अपने स्तर पर भी निर्णय की प्रति शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटरू को भिजवाये। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:38:47 IST
Reason: SelfAttested